

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(मुख्य सचिव कोषांग)

पत्रांक : 667/जी०मु०स०

पटना, दिनांक : 26/05/2026

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिलाधिकारी बिहार।

विषय— ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:—

1. Video Conferencing (VC) के माध्यम से बैठकों का आयोजन :-

राज्यस्तरीय बैठकों का आयोजन VC के माध्यम से ही किया जाय। इसी प्रकार जिला स्तरीय समीक्षात्मक/समन्वय बैठकों का आयोजन भी VC के माध्यम से ही किया जाय। विशेष परिस्थितियों में ही भौतिक बैठकों (physical meeting) का आयोजन किया जाए।

2. ईंधन की बचत हेतु Car Pooling को प्रोत्साहन :-

Car Pooling व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा विभागीय स्तर पर यथोचित निदेश निर्गत किया जाय। इसी प्रकार जिला स्तर पर Car Pooling व्यवस्था को लागू करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी निदेश निर्गत करें।

3. इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन :-

नये वाहनों की खरीद की आवश्यकता होने पर यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाय। सरकारी कार्यों में उपयोग हेतु भाड़ा पर वाहन लिए जाने के क्रम में भी इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाए।

4. ऊर्जा संरक्षण पर विशेष बल/अभियान :-

(क) सभी विभाग मुख्यालय स्तर पर ऊर्जा संरक्षण हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित करें, जिनकी मासिक बैठक सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार के स्तर पर की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि अनावश्यक रूप से AC, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न हो और कार्यालय अवधि के उपरांत सभी विद्युत चलित उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाय। इसके लिए विभागवार/कार्यालयवार Central Switching System की व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाय। इसी प्रकार संबंधित जिला पदाधिकारीगण ऊर्जा संरक्षण हेतु अपने तथा अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में अभियान चलायेंगे।

(ख) सभी विभागाध्यक्ष यह समीक्षा कर लें कि पूर्व से अधिष्ठापित सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है अथवा नहीं। यथासंभव यह प्रयास होना चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था हो और इसका समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी खर्चे पर पदाधिकारियों की विदेश यात्रा पर अगले छः माह के लिए सामान्यतः प्रतिबंध रहेगा।

6. राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके कार्यालय से संबंधित ईंधन एवं बिजली की औसत खपत उपरोक्त उपायों के कारण पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में कम रहे।

विश्वासभाजन,

25.5.2025
(प्रत्यय अमृत)